(घ) सरकार पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, यह मुख्यतया, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे विदेशी पर्यटकों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करें। केन्द्रीय सरकार, विदेशी पर्यटकों के साथ हुई छेड़छाड़, धोखाधड़ी इत्यादि संबंधी घटनाओं के आंकड़े अनन्य रूप से नहीं रखती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सलाह भेजने के अतिरिक्त, वित्तीय सहायता भी देती रही है।

Weapons confiscated from Terrorists

2359. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state how many weapons have been confiscated from the terrorists, ghuspethias during the last two years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): As per available reports, the following numbers of weapons have been recovered from terrorists/ghuspethias during the years 1997 and 1998:—

State	1997	1998
Jammu and Kashmir		
AK Series	2059	1588
Anti-aircraft guns	1	1
Pika guns	41	25
Missile launchers	5	12
Rocket launchers	177	315
Grenade launchers	69	93
Rockets	728	795
Rocket Boosters	216	282
Mortars	19	22
Punjab		
AK Series	8	15
Carbine/Sten/SLR/ALR	4	—
Rifles/Guns	10	10
Pistol/Revolver/Mouser	55	52
Rockets	2	84
Assam	134	191
Meghalaya	4	—
Manipur	211	95
Nagaland	63	27
Tripura	95	154

भारत में शरणार्थी

2360. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के 1951 एवं 1957 के परिनियमों (चार्टर) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में शरणार्थियों से संबंधित कानून काफी पुराने हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत में अभी कितने शरणार्थी हैं और क्या सरकार इन नियमों को संशोधित करेगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) भारत ने, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे तथापि शरणार्थियों के दर्जे पर 1951 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और इस सम्मेलन के 1967 के प्रोटोकोल पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) से (ग) शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी विरचना, भारत के संविधान के संबंधित उपबन्धों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के अन्तर्गत भारत द्वारा स्वीकार की गई बाध्यताओं, विशेष रूप से सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं इत्यादि में दी गई हैं।

31.1.1999 की स्थिति के अनुसार भारत में 93,100 तिब्बती और 93,000 श्रीलंकाई शरणार्थी रह रहे थे। इसके अतिरिक्त, यू.एन.एच.सी.आर. अधिदेश अन्तर्गत भारत में निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति रह रहे थे:—

अफगानी	15,917
बर्मी	591
सोमाली	178
ईरानी	183
सूडानी	86
अन्य	71
	17,026

इस समय, शरणार्थियों से संबंधित कानूनों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।